न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/178/19	15–10–2019	30–12–2019

1. विशम्भर दयाल पुत्र प्रभु दयाल जाति अहीर निवासी ग्राम असलीमपुर तहसील तिजारा जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तिजारा जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार तिजारा दिनांक 16–08–2018 प्रकरण संख्या 11/2018

उपस्थितः–

01. श्री महेश कुमार यादव –वकील अपीलान्ट

——:: निर्णय ::——

अपीलान्ट्स ने यह अपील तहसीलदार, तिजारा के आदेश दिनांक 16–08–2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 520 रकबा 0.09 हैक्टर में से रकबा 0.025 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता वाके ग्राम असलीमपुर तहसील तिजारा का अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने एवं सिविल कारावास के आदेश दिये गये हैं, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट्स ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि पटवारी हल्का विरामपुर ने दिनांक 15.6.18 को एक रिपोर्ट पेश की कि ग्राम असलीमपुर की सरकारी गैर मुमकिन रास्ता भूमि आराजी खसरा नम्बर 520 रकबा 0.09 हैक्टर में से रकबा 0.025 हैक्टर पर अपीलान्ट द्वारा अवैध रूप से कपास काश्त कर कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है। जबकि अपीलान्ट के द्वारा कोई अतिक्रमण कब्जा नहीं किया गया है। पटवारी हल्का ने मौके खिलाफ बिना कोई पैमाईश किये रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तहत अदालत ने अपीलीय निर्णय मौके कब्जे एवं राजस्व रिकार्ड के खिलाफ विधि विरूद्व पारित किया गया है। अपीलान्ट ने तहत अदालत के समक्ष उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश किया जिसमें उक्त आराजी पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नहीं है जिस व्यक्ति ने अतिक्रमण करने का प्रार्थना पत्र पेश किया उसने ही रास्ता के दोनों और पक्का मकानात बनाकर अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है, किन्तु तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट को दस्तावेती सबूत व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट करीब 85 साल का वृद्व वरिष्ठ नागरिक है जो चलने फिरने में असमर्थ है इसलिए रास्ते पर अतिक्रमण करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तहत अदालत ने बिना निर्णय की प्रतिलिपि पश्चातवर्ती अतिक्रमी मनाते हुए 3 माह का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। धारा 91(3)

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

एल0आर0एक्ट के तहत कोई प्रावधान तब तक पश्चातवर्ती अतिक्रमण स्पष्टतया साबित नही हो न्याय संगत नहीं है। अपीलाधीन निर्णय खिलाफ तथ्य कानून मौका साक्ष्य प्रतिपादित न्यायिक सिद्वान्तो एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुये पारित किया है जिससे अपास्त किये जाने योग्य है। आलोच्य निर्णय की जानकारी होने पर अपील अन्दर मियाद पेश की गई है तथा अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहत अदालत का निर्णय निरस्त किया जावें।

हमनें बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया है कि विवादित रास्ता पर अपीलान्ट ने कोई अतिक्रमण नही किया है और ना ही अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट करीब 85 साल का वृद्व वरिष्ठ नागरिक है जो चलने फिरने में असमर्थ है इसलिए रास्ते पर अतिक्रमण करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अपीलान्ट को बेला परेशान करने के लिए पटवारी हल्का से मिलकर अपीलान्ट के खिलाफ मिथ्या बनाकर तहत अदालत के समक्ष पेश कराई है। तहत अदालत ने मौके की जांच नही की गई है। तहत अदालत को पश्चातवर्ती अतिक्रमण के लिए धारा 91(3) एल0आर0एक्ट के तहत अतिक्रमी को नोटिस दिया जाना आवश्यक है, जो अपीलान्ट को नहीं दिया गया। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का विरामपुर द्वारा आराजी खसरा नम्बर 520 कुल रकबा 0.09 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से 0.025 है0 पर कपास काश्त कर कब्जा कर पश्चातवर्ती अतिक्रर्मी करने की रिपोर्ट पेश की थी जिस पर अपीलान्ट को सुनवाई एवं जवाब तथा साक्ष्य पेश करने हेतु नोटिस जारी कर अपीलान्ट से जवाब प्राप्त कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का विरामपुर की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश के अनुसार आराजी गैर मुमकिन रिकार्ड दर्ज है, जिस पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलान्ट का विवादित आराजी पर लगातार पुराना कब्जा प्रमाणित होता है। अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहसीलदार तिजारा का आदेश दिनांक 16–08–2018 यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति तहत रिकॉर्ड के साथ तहसीलदार तिजारा को भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30–12–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर, अलवर